

संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेशन बाजा रायपुर)

दूरभाष : 0771-4240278 ई-मेल : jdeduralpur@gmail.com

क्र./विभागीय मान्यता/आर-1039/2022 1885

रायपुर, दिनांक :

07 JUN 2022

प्रति

प्रधानक/अध्यक्ष,

रीतानंद बलदेव एजुकेशन फाउण्डेशन ई-27 डिग्रेन्स कालोनी न्यू दिल्ली

एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेंटर 30 अटल नगर नवा रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.)

सन्दर्भ

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर क/मान्यता कक्षा/कक्षा उन्नयन/2022-23/5506 रायपुर, दिनांक: 10.06.2022

विषय -

कक्षा उन्नयन एवं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

मार्गदर्शक/मार्गदर्शिका,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 09.06.2022 के सन्दर्भ में और इस सन्दर्भ में विद्यालय के साथ पर्याप्तता परामर्श/निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के अनुशासक उन्मत्त न एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेंटर-30 अटल नगर नवा रायपुर, जिला-रायपुर (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) को कक्षा नवमी एवं पहली से कक्षा आठवी तक संचालित कक्षा को कक्षा उन्नयन करते हुए कक्षा नवमी से बारहवी (अंग्रेजी माध्यम) तक संचालित करने हेतु सत्र 2022-23 से 2024-25 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए सशर्त अनतिन कक्षा उन्नयन मान्यता प्रदान करने की संसुचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी -

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्तें निम्नांकित होंगी-

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्याप्त मान्यता/सम्बद्ध करने के लिए कोई बाधा विहित नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि निम्न उचित मापदण्डों की पूर्ति आपके पास नहीं की जाती है तो यह सशर्त दी गई मान्यता अनुमति स्वतः समाप्त माने जावे।
- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) तथा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नवमी कक्षा में) एक कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आठ-बारस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मजदूर ने न इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सॉफ्टवेयर स्कूल कोई भी कंपिटेशन पीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके मातापिता या अभिभावक के साथ किसी स्कैनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सक्षम न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और नही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 (एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 (दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 (छह) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है शर्तें कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।

Priya
Ms. Priya Shrivastava
 Headmistress
 Amity International School, Raipur

Divya Bhatia
Ms. Divya Bhatia
 Manager
 Amity International School, Raipur